प्रेस विज्ञप्ति

बिहार पुलिस मुख्यालय

दिनांक–13.09.2023 (सं0–402)

सडक दुर्घटना के पीडितों को दावा भुगतान

1. हाल के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश "गौहर मोहम्मद vs UPSRTC" ने सभी राज्यों में CMV Rule (संशोधन) 2022 के Rule 150(A) के तहत सड़क दुर्घटना में काण्डों का ससमय अनुसंधान एवं दावा भुगतान को ससमय Facilitate कराने का निर्देश दिया है।
    - अबतक की व्यवस्था के अनुसार Motor Accident Claim Tribunal के स्तर से Compensation award में एक तरफ काफी समय लगता है दूसरी तरफ प्रक्रिया जटिल होने के चलते आम पीड़ित परिवार इसका लाभ नहीं उठा पातें।
    - सड़क दुर्घटना में भारी जान माल की क्षति होती है। 2022 के आँकड़ों के अनुसार बिहार में करीब 8898 मृत्यु, करीब 7068 जख्मी/अपंगता आदि मामले प्रतिवेदित हुए हैं।
    - कल्याणकारी राज्य का दायित्व है कि Victim परिवार को Compensation का भुगतान ससमय हो।
2. इस न्यायादेश के अनुपालन में पुलिस की भूमिका अहम है। अतः पुलिस को कतिपय संशाधनों की उपलब्धता के लिये राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है यथा
    - 28 जिलों में पुलिस उपाधीक्षक, यातायात एवं यातायात थाना/बल की स्वीकृति
    - पुलिस उपाधीक्षक, यातायात एवं यातायात थाना के लिये वाहन क्रय
    - सड़क दुर्घटना डाटा संकलन एवं e-DAR Application के माध्यम से प्रपत्रों का इलेक्ट्रॉनिक सम्प्रेषण हेतु स्मार्ट फोन का क्रय
    - राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाईवे पेट्रोल योजना
    - यातायात संभाग में PMU की स्वीकृति
3. इस बीच 12 जिलों में, जहाँ यातायात बल स्वीकृत है, NIC एवं IIT चेन्नई टीम के द्वारा विकसित e-DAR Application को Pilot Project के रूप में Roll out करने का निर्णय बिहार राज्य ने लिया है जो देश में पहला राज्य होगा।
4. इसके साथ ही थानों में अनुसंधान पदाधिकारियों की यूनिट गठित की जा रही है, जिसे विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे सड़क दुर्घटना के कांडों का ससमय अनुसंधान करने के साथ साथ दावा भुगतान की प्रक्रिया में Facilitator की भूमिका निभा सके।
5. e-DAR Application से सड़क दुर्घटना के कांडों का अनुसंधान ससमय कराते हुए संबंधित प्रपत्रों को electronically सर्व सम्बन्धित को संप्रेषित किया जा सकेगा जिससे MACT द्वारा निर्धारित 6 माह/9 माह/12 माह की समय सीमा में दावा भुगतान संबंधी Award करने में सुविधा होगी।
6. इस परियोजना के सभी कार्यान्वयन भागीदार– स्वास्थ्य, सड़क/राजमार्ग, परिवहन, पुलिस, बीमा कम्पनियाँ, बाल कल्याण समिति, मेट्रोपॉलिटन अदालतें, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकार हैं।

XXXXXX